भारतीय दण्ड प्रक्रिया नियमावली 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत आदेश

जैसा कि विदित है कि जिला जीन्द में गेहूं व अन्य सभी प्रकार की फसलों की कटाई शुरु हो चुकी है और किसान फसल कटाई के बाद बचे हुए अवशेषों को जला देते हैं जिससे उत्पन्न धुंआ/स्मोग आसमान में चारों ओर फैल जाता है, जोकि आमजन के स्वास्थ्य पर बुरा असर डालता है। आगजनी की घटनाओं से सम्पत्ति तथा मानव जीवन को हानि की सम्भावना से भी इन्कार नही किया जा सकता। फसल की कटाई उपरान्त बचे फसल अवशेषों को जलाने से जिला में पशुओं के चारे की कमी होने की भी सम्भावना बनी रहती है। फसल कटाई के बाद बचे अवशेषों को जलाने से भूमि के मित्र कीट मर जाते हैं, जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति कम होने से फसल की पैदावार पर भी प्रभाव पडता है।

राष्ट्रीय हरित न्यायधिकरण, नई दिल्ली द्वारा फसल अवशेष जलाने पर प्रतिबन्ध लगाने बारे निर्देश जारी किये गये हैं जिसके अन्तर्गत जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। हरियाणा सरकार द्वारा भी समय-समय पर माननीय हरित न्यायधिकरण, नई दिल्ली द्वारा जारी आदेशों की सख्ती से पालना हेतू निर्देश दिये गये हैं।

अतः मैं डा0 आदित्य दहिया, भा.प्र.से., जिलाधीश, जीन्द दण्ड प्रक्रिया नियमावली 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला में किसी भी प्रकार की फसल कटाई के बाद बचे अवशेषों के जलाने पर प्रतिबन्ध लगाने के आदेश पारित करता हूं।

आपातकालीन स्थिति व समय की कमी व वर्तमान परिस्थितियों के दृष्टिगत मैं यह आदेश सम्बन्धित व्यक्तियों को सूचित किये बिना एकपक्षीय पारित करता हूं तथा यह आदेश जन सामान्य को सूचनार्थ एवं पालनार्थ सम्बोधित हैं।

इस आदेश की जिला जीन्द में ढोल बजाकर, जिला सूचना एवं लोक सम्पर्क अधिकारी, जीन्द द्वारा विस्तृत मुनादी करवाई जायेगी तथा इसका कचहरी, उपमण्डल, तहसील कार्यालयों, सार्वजनिक स्थानों व पुलिस स्टेशनों पर नोटिस चस्पा करके प्रचार-प्रसार किया जावे।

पुलिस अधीक्षक, जीन्द को लिखा जाता है कि उपरोक्त आदेश की अवहेलना में यदि कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसके विरुद्ध भा0 द0 स0 की धारा 188 सम्पठित वायु बचाव एवं प्रदूषण नियन्त्रण अधिनियम 1981 के तहत कार्यवाही अमल में लाई जावे।

यह आदेश आज दिनांक 29.04.2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर कार्यालय द्वारा जारी किया गया है।

DISTRICT MAGISTRATE JIND (Haryana)

(e-sign)

जिलाधीश, जीन्द।
District Magistrate
Jind

पृ0 क्रमांक 831–52/एमए दिनांक 29.04.2020

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित हैः–

1. मुख्य सचिव हरियाणा सरकार, चण्डीगढ।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह विभाग हरियाणा, चण्डीगढ।
3. अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं वित्तायुक्त हरियाणा सरकार, राजस्व एवं आपदा प्रबन्धन विभाग, चण्डीगढ।
4. पुलिस महानिदेशक हरियाणा, चण्डीगढ।
5. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, (Law & Order) हरियाणा, चण्डीगढ।
6. आयुक्त, हिसार मण्डल, हिसार।
7. महानिरीक्षक पुलिस, हिसार रेंज, हिसार।
8. जिला एवं सत्र न्यायधीश, जीन्द।
9. निदेशक, प्रदूषण नियन्त्रक विभाग हरियाणा, पंचकुला।
10. राज्य के सभी जिलाधीश।
11. उप–महानिरीक्षक–कम–पुलिस अधीक्षक, जीन्द।
12. अतिरिक्त उपायुक्त, जीन्द।
13. उपमण्डल अधिकारी (ना), जीन्द/सफीदों/नरवाना/उचाना।
14. जिला राजस्व अधिकारी, जीन्द।
15. जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, जीन्द।
16. उपनिदेशक, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, जीन्द।
17. क्षेत्रीय अधिकारी, हरियाणा प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, जीन्द।
18. जिला के सभी तहसीलदार/नायब तहसीलदार।
19. जिला के सभी खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी।
20. कार्यकारी अधिकारी/सचिव, नगर परिषद/पालिका, जीन्द, नरवाना, सफीदों, जुलाना, उचाना।
21. जिला सूचना एंव लोक सम्पर्क अधिकारी, जीन्द।
22. निजि सहायक समीप उपायुक्त/नगराधीश, जीन्द।

DISTRICT MAGISTRATE JIND (Haryana)

जिलाधीश, जीन्द।

District Magistrate
Jind